

चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र

1. बिहार विधान मंडल सदस्य/पूर्व सदस्य का नाम -
2. बिहार विधान मंडल के सदस्य/ पूर्व सदस्य से संबंध -
3. रोग/बीमारी का नाम -
4. चिकित्सा कराये गये सरकारी/सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त/अन्य अस्पताल का नाम -
5. चिकित्सा की अवधि तथा चिकित्सा कराने की प्रकृति-
(क) अंतर्वासी चिकित्सा - दिनांक से दिनांक तक
(ख) बहिर्वासी चिकित्सा - दिनांक से दिनांक तक
6. राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की अनुशांसा है या नहीं, संस्थान/पद नाम -
7. सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा कराने की स्वीकृति (अनुमति)/ घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है या नहीं -
8. चिकित्सा में हुए कुल व्यय राशि -

चिकित्सारत संस्थान के अधीक्षक/निदेशक
का हस्ताक्षर एवं मुहर

नियंत्री पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

चेक लिस्ट

**माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा एवं उनके आश्रित तथा मा० पूर्व सदस्य,
बिहार विधान सभा (पति/पत्नी) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में**

राज्य के अंदर करायी गयी चिकित्सा

(A) बहिर्वासी चिकित्सा (आउटडोर)

(1) बाह्य चिकित्सा संबंधी चिकित्सक का पुर्जा (प्रिस्क्रिप्शन की प्रति)	-	हाँ	नहीं
(2) क्रय किये गए दवा एवं जाँच संबंधी विपत्रों पर सक्षम चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर	-	हाँ	नहीं
(3) चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उस पर चिकित्सक, चिकित्सा संस्थान के अधीक्षक या निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर	-	हाँ	नहीं
(4) चिकित्सा विपत्र सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित	-	हाँ	नहीं

(B) अन्तर्वासी चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती होने पर)

(1) अन्तर्वासी चिकित्सा संबंधी डिस्चार्ज समरी की मूल प्रति	-	हाँ	नहीं
(2) डिस्चार्ज समरी की मूल प्रति पर सक्षम चिकित्सक या चिकित्सा संस्थान के अधीक्षक या निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर	-	हाँ	नहीं
(3) क्रय किये गए दवा एवं जाँच पर हुए व्यय संबंधी विस्तारित विपत्रों की मूल प्रति तथा विपत्रों पर सक्षम चिकित्सक का हस्ताक्षर एवं मुहर	-	हाँ	नहीं
(4) सभी विपत्रों पर माननीय सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा भुगतान प्रमाण पत्र (मेरे द्वारा भुगतान किया गया है)	-	हाँ	नहीं

राज्य के बाहर करायी गयी चिकित्सा

(A) बहिर्वासी चिकित्सा (आउटडोर)

(1) बहिर्वासी चिकित्सा की स्थिति में चिकित्सा विपत्र सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित	-	हाँ	नहीं
(2) चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा चिकित्सक द्वारा अनुशंसित पैथोलोजिकल/अन्य जाँच एवं दवा का ही किया गया है	-	हाँ	नहीं

(B) अन्तर्वासी चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती होने पर)

(1) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निर्गत अनुशंसा पत्र (रेफर लेटर) (विशेषज्ञ चिकित्सक (1) सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशंसा (रेफर) की गई हो, परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पी०एम०सी०एच०, पटना संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे।)	-	हाँ	नहीं
--	---	-----	------

- (2) राज्य के बाहर चिकित्सा कराने जाने के पूर्व सचिव, बिहार विधान सभा को रेफर लेटर की छायाप्रति लगाकर सूचना दी गई है -
- (3) यदि सूचना दी गई है तो माननीय सदस्य/पूर्व सदस्यों को चिकित्सा हेतु अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है -
- (4) माननीय सदस्य/पूर्व सदस्य (पति/पत्नी) हृदयघात, ब्रेन हेमरेज एवं गंभीर सड़क दुर्घटना से ग्रसित है तो इसकी सूचना यथाशीघ्र सचिव, बिहार विधान सभा को भेज दी गई है ? -
- (5) माननीय सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा स्वयं अथवा आश्रितों से संबंधित चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान प्राप्त करने हेतु अनुरोध पत्र -
- (6) माननीय सदस्य द्वारा परिवार के सदस्य का उनपर पूर्ण रूप से आश्रित होने की सूचना तथा मा० पूर्व सदस्य का (पति/पत्नी) का उनपर पूर्ण रूप से आश्रित होने की सूचना -
- (7) पूर्व सदस्य के मामले में आवेदन के साथ भारतीय स्टेट बैंक का खाता संख्या संलग्न है अथवा अंकित है -
- (8) पूर्व सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पत्राचार का पता एवं मोबाईल संख्या अंकित है -

हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं

(हस्ताक्षर)

मा० सदस्य / पूर्व सदस्य

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

बिहार विधान सभा, पटना ।

तारीख -

स्थान -

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2008

सं० सं० 14/एम 12-05/98-228(14)/ बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन) अधिनियम 2006 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2008 -

1-संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ - (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य चिकित्सीय परिचर्या नियमावली 2008 कही जायगी।

(2) यह पहली अक्टूबर, 2006 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जायगी।

2-परिभाषाएं:-जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में :-

- (क) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद के सदस्य।
- (ख) "पूर्व सदस्य" से अभिप्रेत है, बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य।
- (ग) "विशेषज्ञ चिकित्सक" से अभिप्रेत है सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/ इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राध्यापक या समकक्ष जिनके द्वारा अनुशांसा की गयी हो परन्तु हृदय रोग के मामले में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के निदेशक ही विशेषज्ञ चिकित्सक माने जायेंगे।
- (घ) सरकारी अस्पताल " से अभिप्रेत है सरकारी अस्पताल अथवा सरकार द्वारा सम्भोधित अस्पताल।
- (च) "मान्यता प्राप्त अस्पताल" से अभिप्रेत है वे सभी निजी अस्पताल जो बिहार सरकार द्वारा उपचार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हो। इसमें सी०-जी० एच० एस्० से मान्यता प्राप्त अस्पताल भी सम्मिलित हैं।
- (छ) "सभा" और "परिषद" से अभिप्रेत है, क्रमशः बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद।

3- हकदारी:- राज्य विधान मंडल के दोनो सदस्यों के सदस्यों एवं उनपर आक्रिय उनसे परिवार के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के श्रेणी-1 के पदाधिकारियों के समरूप चिकित्सा उपचार एवं प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। पूर्व सदस्य एवं उनके पति/पत्नी भी इस नियमावली से अधीन उपचार तथा प्रतिपूर्ति की सुविधा के हकदार होंगे।

4- राज्य से बाहर उपचार :- (1) किसी गम्भीर बीमारी की दशा में विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर सरकारी अस्पतालों में अथवा राज्य सरकार/सी०जी०एच० एस० द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुशंसा पर राज्य से बाहर उपचार के लिए अनुमति देने हेतु सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) हृदयघात, ब्रेन हेमरेज, और गम्भीर सड़क दुर्घटना की दशा में सदस्य/पूर्व सदस्य/राज्य से बाहर सरकारी या सी० जी० एच० एस० से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार के लिए बिना पूर्वानुमति के प्रस्थान कर सकते हैं, यदि अस्पताल आपाती स्थिति हो, किंतु यथा संभव शीघ्र आधिकारिक सूचना सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद, को भेज दी जायगी।

5- राज्य के भीतर उपचार:- राज्य के भीतर सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अन्तर्वासी चिकित्सा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ सचिव, बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद, उपचार पर उपगत धुगतान सीधे संबंधित सदस्यों/पूर्व सदस्यों को नियम-7 के अनुसार अनुमान्य करेंगे।

6- अग्रिम एवं प्रतिपूर्ति :- (1) यदि सरकारी अस्पतालों या मान्यताप्राप्त अस्पतालों में उपचार कराया गया हो तो अस्पतालों के प्रोफेशनल के अह्वार पर अस्सी प्रतिशत अग्रिम मंजूरी की जायेगी। ऐसे अस्पतालों में उपचार के लिए मंजूर अग्रिम छः माह के भीतर सदस्य/पूर्व सदस्यों द्वारा समायोजित करवाना होगा। अग्रिम की मंजूरी के परचात एक माह के भीतर यदि उपचार आरंभ नहीं किया जाता है तो ऐसे अग्रिम की पूरी राशि सदस्यों/पूर्व सदस्यों को वापस करनी होगी अन्यथा यह सदस्यों के वेतन/पूर्व सदस्य के पेंशन से समायोजित की जायेगी।

(2) यदि प्रतिपूर्ति की राशि मंजूर अग्रिम से कम हो तो अंतर की राशि संबंधित सदस्य/पूर्व सदस्य को एक माह के भीतर समायोजन के लिए एक किस्त में जमा करनी होगी।

(3) पूर्व सदस्य को अग्रिम लेते समय खर्च नहीं किये गये अग्रिम को विहित अवधि के भीतर एक किस्त में वापस करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा।

7- प्रतिपूर्ति अधिकार:- 2.00 लाख (दो लाख) रुपये तक की मंजूरी देने हेतु वित्त विभाग द्वारा नियुक्त/प्रतिनियुक्त आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से सचिव विधान सभा / विधान परिषद सक्षम होंगे। यदि राशि 2 लाख (दो लाख) रुपये से अधिक हो तो विपत्र की जाँच एवं संबंधित अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से अध्यक्ष बिहार विधान सभा/ समापति बिहार विधान परिषद द्वारा प्रतिपूर्ति मंजूर की जाएगी।

8- बहिर्वासी चिकित्सा:- बहिर्वासी उपचार की सुविधा यही रहेगी जो उन रोगों की दशा में जिसके लिए बहिर्वासी उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृति की जाती है। ऐसे रोगों की चिकित्सा के मामले में सदस्य/पूर्व सदस्य स्वयं अथवा अश्रितों के उपचार के लिये विपत्र अस्पताल के सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सचिव बिहार विधान सभा/सचिव बिहार विधान परिषद को देंगे। सचिव बिहार विधान सभा/विधान परिषद, सदस्य/ पूर्व सदस्य को राशि मंजूर करेंगे।

9- परिचारी:- रोगी के साथ एक परिचारी की स्वीकृति दी जायेगी वह उसी श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा।

10-निरसन एवं व्यावृत्ति:- इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार विधान मंडल के सदस्य /पूर्व सदस्य हेतु प्रवृत्त चिकित्सीय उपचार नियमावली 2000 निरस्त समझी जायेगी। ऐसे निरसन के होते हुए निरसीत नियमावली के प्रावधानों के अधीन किये गये कुछ भी कार्रवाई की गयी किसी भी कार्रवाई का पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन बदलाव या किसी भी रीति से प्रभावित नहीं किया जाएगा/की जायेगी माना उक्त नियमावली निरसित नहीं की गयी हो।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असाधारण गजट के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अमरेन्द्र नारायण सिंह)

सरकार के अपर आयुक्त

दिनांक 25/2/08

ज्ञाप सं० 228(14)

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना के गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2 इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सरकार के अपर आयुक्त

दिनांक 25/2/08

ज्ञाप सं०

228(14)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोशागार पदाधिकारी सचिवालय सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

क्रमा सं०: 228(14)

दिनांक 25/2/08

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव विधि विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव, विज्ञान विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/ राज्य पाल सचिवालय, बिहार, पटना/विशेष सचिव मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य मंत्री के आप्त सचिव बिहार पटना./उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री स्वास्थ्य शि० शि० प० क० एवं देशी चिकित्सा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 550 (पाच सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सचिव बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- 250 (दो सौ पचास) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच वितरित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- सभी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अधीक्षक सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कालेज/सभी सिविल सर्जन/अधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/स्टेट लेप्रोसी आफिसर, स्वास्थ्य भवन, पटना/निदेश टी० बी० डी० सी० पटना, दरभंगा/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाये/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी बिहार, पटना/सहायक निदेशक फाइलेरिया को सूचनार्थ।

सरकार के अपर आयुक्त

25/2/08
D. Singh